न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

चुनाव वाद सं0–02 सन् 2021

अरूण कुमार सिंह.....वादी।

बनाम

नरोत्तम कुमार सिंह वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 06.07.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 25.04.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद में वादी के द्वारा सचूना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचना दिनांक 05.12.2022 एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह निवार्ची पदाधिकारी द्वारा भेजा गया जवाब 09.12.2022 से स्पष्ट है कि प्रपत्र 16, 17, 18, 19 एवं 20 कस्टडीयन प्रतिवादी सं0 12 है तथा उनके द्वारा उक्त सभी प्रपत्र को शील बताया गया है तथा स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा मांग की जाती है तो दिया जा सकता है। प्रपत्र 16, 17, 18, 19 एवं 20 एवं ई0भी0एम0 वो चुनाव संबंधित विडियोग्राफी उक्त वाद के अभीलेख पर रहना न्याय के लिए आवश्यक है ताकि उसका निरीक्षण वादी के अधिवक्ता वो न्यायालय के द्वारा किया जा सके एवं सही तथ्य न्यायालय के समक्ष आ सके। अतः निवेदन है कि उपर की बातों पर विचार कर चुनाव प्रकिया संबंधी विडियोग्राफी एवं प्रपत्र 16, 17, 18, 19 एवं 20 वो ई0भी0एम0 न्यायालय में मंगाने की कृपा किया जाए ताकि ससमय न्यायालय वो वादी के अधिवक्ता चुनाव संबंधी सभी कागजातों को विडियोग्राफी एवं ई0भी0एम0 का निरीक्षण कर सके जिसके फलस्वरूप उपरोक्त मुकदमा का निष्पादन ससमय किया जा सके।

उपरोक्त आवेदन प्रतिवादी सं0 12 के खिलाफ दिया गया है परंतु प्रतिउत्तर प्रतिवादी सं0 01 की ओर से दिनांक 09.06.2023 को दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं0 12 के तरफ से कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं0 01 को प्रतिउत्तर में कथन किया है कि वादी का आवेदन कानूनी मंजूर होने योग्य नहीं है तथा वादी द्वारा दाखिल आवेदन सत्यापित नहीं है एवं अपने आवेदन में समर्थन में कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। वादी को वर्तमान आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है वादी ने साक्ष्य संग्रह करने के नियत से आवेदन प्रस्तुत किया है। वादी

सूचना के अधिकार अधिनियम को वर्तमान आवेदन का आधार बनाया है। जो कानूनी मान्य नहीं है। वादी जानबूझकर सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना पदा0/अपीलीय पदा0 के समक्ष निरीक्षण हेतु कानूनी प्रकिया का पालन नहीं किया है बल्कि गलत आशय से वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रपत्र 16, 17, 18, 19 एवं 20 तथा ई0भी0एम0 की मांग अभिलेख पर रहने हेतु किया है तथा कागजात एवं विडियोग्राफी का निरीक्षण करने का मांगा किया है वह सही नहीं है तथा वादी को निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी जानबूझकर प्रतिवादी को तंग वो परेशान करने की नियत से वर्तमान आवेदन दाखिल किया है। जो कानूनी खारिज करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी के तरफ से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना से संतुष्ठ नहीं होने पर सूचना के अधिकार के तहत दिए गए उपचार के तहत अपीलिय न्यायालय में आवेदक को जाना चाहिए। आवेदक के द्वारा यह कहना कि उक्त दस्तावेजों का निरीक्षण वादी के अधिवक्ता को करने के लिए मंगाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है और न ही न्यायालय अपने ओर से वादी का वाद साबित करने के लिए और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए वादी को मौका दे सकता है। वाद के अंतिम चरण में यदि न्यायालय को लगता है कि उपरोक्त दस्तावेज न्यायहीत में लाना उचित है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय न्यायहित में उचित कदम उठाएगी। अतः वर्तमान परिस्थिति में वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 25.04.2023 पोषणीय नहीं है।

वाद दिनांक.....को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर, सारण।